न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या-63/2023

राज्य

बनाम्

पंकज कुमार गुप्ता वगैरह

—: आदेश :—

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक 1033/अप0शा0 दिनांक 11.05.2023 से राजसात हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्रारम्भ किया गया।

यह वाद बरवाडीह थाना काण्ड संख्या–91/2021 दिनांक 31.09.2021 से संबंधित है। राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि थाना प्रभारी, बरवाडीह थाना के पत्रांक 1597/21 दिनांक 21.09.2021 से जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार को संबोधित पत्र में उल्लेख किया गया है कि अंचल अधिकारी, बरवाडीह का पत्रांक 290 दिनांक 18.09.2021 के आलोक में दिनांक 21.09.2021 को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी बरवाडीह थाना द्वारा अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बरवाडीह के नेतृत्व में बरवाडीह थाना क्षेत्र के अन्तर्गत छापामारी के क्रम में समय करीब 02:30 बजे पूर्वाह्न में पाया कि कुशहाबथान औरंगा नदी बालू घाट से दो महिन्द्रा ट्रैक्टर रजि0 नं0–JH03Z-7049 मॉडल नं0–B-275 इंजन नं0–NKA2EMJ0070 चेसीस नं0–MBNABAEXPKJB04483 एवं ट्रैक्टर बिना रजि0 नं0 का मॉडल नं0–B-275 DJ, इंजन संख्या–RFNE02030 चेसीस नं0–RFNE02030 तथा छापामारी के क्रम में समय करीब–07:30 बजे पूर्वाह्न में दौवरी नदी लंका खड़िया बालू घाट से ट्रैक्टर बिना रजि0 नं0 का नया महिन्द्रा ट्रैक्टर मॉडल नं0–B-275DI, इंजन संख्या–RML2EMN0650 चेसीस नं0–MBNABAEXKMJL04431 एवं सोनालिका ट्रैक्टर मॉडल नं0–DI734 International, इंजन नं0–3100DL83E 734637F3 चेसीस नं0–FZQSG741208SM के ट्रॉली पर लगभग 100–100 सी0एफ0टी0 अवैध बालू खनिज लदा पाया गया। ट्रैक्टरों के ट्रॉली पर लगभग 100–100 सी0एफ0टी0 लदे बालू खनिज से संबंधित वैध कागजातों की मांग करने पर कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही इनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। तत्पश्चात् उक्त सभी ट्रैक्टर एवं ट्रॉली में लदे अवैध बालू खनिज सहित जप्त कर बरवाडीह थाना परिसर में सुरक्षार्थ रखते हुए अग्रेतर कार्रवाई किया गया। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अवैध बालू खनिज का उत्खनन कर बालू खनिज का उठाव एवं प्रेषण किया जाने का कार्य किया गया

है। माननीय हरित न्यायाधिकरण, कोलकाता (NGT) द्वारा वाद संख्या O.A No.-120/2016/EZ Rezwan Vs. State of Jharkhand and ors. में पारित आदेश दिनांक 17.08.2016 के आलोक में राज्यान्तर्गत बालू घाटों से बालू का उठाव वर्षा ऋतु अर्थात दिनांक 10.06.2020 से 15.10.2020 तक किसी भी परिस्थिति में नदी से बालू खनिज का उठाव नहीं किया जाना है। यदि उक्त अवधि में किसी भी नदी से बालू का उठाव एवं परिवहन किया जाता है तो अवैध मानते हुए कार्रवाई किया जाना है। प्राथमिकी घटनास्थल का निरीक्षण, वादी एवं साक्षियों का बयान गिरफ्तार अभियुक्त का सफाई बयान के अवलोकन से यह काण्ड सत्य प्रतीत होता है। अनुसंधान के क्रम में ट्रैक्टर मालिक द्वारा अपना-अपना ट्रैक्टर इंजन को माननीय न्यायालय से जमानत करवाया गया है, जिसमें एक महिन्द्रा ट्रैक्टर मॉडल 275DI रजि० नं०-JH08D-6575, चेसीस नं०-RFNE02030, इंजन नं०-RFNE02030 के वाहन मालिक ने अपना ट्रॉली को माननीय न्यायालय से जमानत कराकर बरवाडीह थाना से मुक्त करा लिया गया है। शेष तीन ट्रॉली बरवाडीह थाना परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया है। उक्त काण्ड में जप्त तीन ट्रॉली प्रत्येक ट्रॉली करीब 100 सी०एफ०टी० अवैध बालू लदा हुआ बारिस धूप एवं खुले परिसर में रख-रखाव के कारण खराब होने की स्थिति में है। इसलिए काण्ड में जप्त तीन ट्रॉली पर करीब 100-100 सी०एफ०टी० अवैध बालू खनिज के विरूद्ध राजसात की कार्रवाई किया जाय।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि माननीय अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय से उपरोक्त ट्रैक्टर 1. रजि० नं०-JH03A-1439 2. रजि० नं०-JH19B-8675 3. रजि० नं०-JH03Z-7049 को मुक्त कर दिया गया है। विपक्षी द्वारा माननीय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय से बरवाडीह थाना काण्ड संख्या-91/2021 में जप्त वाहन 1. रजि० नं०-JH03A-1439 2. रजि० नं०-JH19B-8675 3. रजि० नं०-JH03Z-7049 को मुक्त करने हेतु आवेदन दिया था। उक्त ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली भी जप्त किया गया है, जिसमे ट्रॉली मुक्त नहीं किया गया है। उक्त ट्रैक्टरों के ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था चुकि 2018 से ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन नही हो पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में न्यायालय द्वारा मुक्त ट्रैक्टर वाहन पर पुनः राजसात की कार्रवाई न्याय उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त वाद का ट्रायल माननीय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में चल रहा है तथा न्यायालय का जो भी आदेश होगा विपक्षी अक्षरशः पालन करने को तैयार हैं। न्यायाहीत में ट्रैक्टर एवं ट्रॉली पर चल रहे राजसात की कार्रवाई समाप्त करते हुए जप्त ट्रॉली को मुक्त किया जाय।

दोनों पक्षों के बहस सुनने एवं तथ्यों के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि ट्रॉली का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है।

अतः जप्त सभी तीन ट्रॉली को निम्नलिखित शर्तों एवं बीस-बीस हजार रू० का अलग-अलग जमानत बंध-पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार

के आधार पर विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है :–

1. उक्त ट्रॉली की प्रकृति वो पहचान बिना न्यायालय के आदेश का बदल नहीं सकेंगे।
2. जब कभी भी न्यायालय को ट्रॉली मालिक/ट्रॉली की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो ट्रॉली को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
3. ट्रॉली को किसी दूसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
4. उक्त ट्रॉली मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं0 अंकित कर समर्पित करेंगे।

जप्त ट्रॉली के दावाकर्ता इस आशय का स्पष्ट शपथ पत्र संबंधित थाना से सत्यापित कराते हुए समर्पित करेंगे कि ट्रॉली के वे मालिक हैं तथा वर्तमान में थाना में जप्त है।

विपक्षी अपने ट्रॉली के संबंध में उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं बीस–बीस हजार रू0 का अलग–अलग जमानत बंध–पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात 08 सप्ताह के अन्दर दाखिल करें।

आदेश की प्रति थाना प्रभारी, बरवाडीह थाना, जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार, पुलिस अधीक्षक, लातेहार एवं विपक्षी को भेजें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.08.16 16:32:52 +05:30
Location: 192.168.5.143